

## कार्यालय उप पंजियक भैरुन्दा जिला नागौर

**कृषि एवं अकृषि भूमि की विक्रय दर निर्धारण**  
जिला स्तरीय समिति बैठक दि. 04.10.2012 हेतु प्रस्तावित

क्र.सं.	नाम ग्राम	राज्य सरकार द्वारा दि. 26.03.2012 को पूर्व डीएलसी दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई जो 26.03.2012 से प्रभावी है।		दिनांक 04.10.2012 को डी.एल.सी. बैठक में 5 प्रतिशत डीएलसी दर में वृद्धि किये जाने पर दिनांक 05.10.2012 से प्रभावी होगी		विशेष विवरण
		सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	
1	आलनियावास	37444	18849	39500	20000	
2	सूरजगढ	37444	18849	39500	20000	
3	कालनी कुमारान	35926	17963	38000	19000	
4	लाडपुरा	37444	18849	39500	20000	
5	पीपलिया	37444	18849	39500	20000	
6	बासनी जग्गा	37444	17963	39500	19000	
7	कालनी	37444	18849	39500	20000	
8	रावत खेड़ा	37444	17963	39500	19000	
9	कोड	37444	17963	39500	19000	
10	दौलतपुरा	37444	17963	39500	19000	
11	नृसिंग बासनी	35926	17204	38000	18500	
12	टेहला	37444	17963	39500	19000	
13	गुढा जगमालोता	37444	17963	39500	17970	
14	देवगढ	47185	17963	50000	19000	
15	सथाना कलां	37444	17963	39500	19000	
16	सथाना खुर्द	37444	17963	39500	19000	
17	सथानी	37444	17963	39500	19000	
18	मथानिया	37444	17963	39500	19000	
19	कोडिया	35926	17204	38000	18500	
20	डोडीयाना	37444	17963	38000	19000	
21	रोहिसड़ा	35926	17963	38000	19000	
22	बिखरनिया कलां	34282	17204	36000	18500	
23	बिखरनिया खुर्द	34282	17204	36000	18500	
24	सुरपुरा	34282	17204	36000	18500	
25	इंटावड़ा भोजा	34282	17204	36000	18500	
26	इंटावड़ा लाडखानी	34282	17204	36000	18500	
27	भैरुन्दा	34282	17963	36000	19000	
28	गुढा जोधा	34282	17963	36000	19000	
29	पाटनिया	34282	17204	36000	18500	
30	गोल	34282	17204	36000	18500	
31	थाटा	34282	17204	36000	18500	
32	सुरियास	35926	17963	38000	19000	

33	भंवाल चारणा	34282	17204	36000	18500	
34	लूणियास	35926	17204	38000	18500	
35	हरसौर	34282	17963	36000	19000	
36	मुण्डेलपुरा	34282	17963	36000	19000	
37	गुलाबपुरा	34282	17963	36000	19000	
38	मोडीकलां	35926	17963	38000	19000	
39	मोरीयाना	34282	17204	36000	18500	
40	ओरियाना	34282	14801	36000	16000	
41	राक्यासनी	34282	14801	36000	16000	
42	बोफली	34282	17204	36000	18500	
43	निम्बोला बिस्वा	34282	14801	36000	16000	
44	बनवाड़ा	34282	14801	36000	16000	
45	सनेड़िया	34282	14801	36000	16000	
46	ढाणीपुरा	35926	19608	38000	21000	
47	कल्याणपुरा	34282	14801	36000	16000	
48	राताढूण्डा	34282	14801	36000	16000	
49	बड़ा आसन	37444	17963	39500	19000	
50	सूदवाड़	34282	17963	36000	19000	
51	जसवन्तपुरा	34282	14801	36000	16000	
52	शाहपुरा	34282	14801	36000	16000	
	शेखपुरा	34282	17963	36000	19000	
54	लाखिना	47185	17963	50000	19000	
55	किल्ला	47185	17963	50000	19000	
56	बाडीघाटी हाईवे से किल्ला गांव तक व बाडीघाटी हाईवे सड़क से पही रोड़ पर	292215	292215	307000	307000	
57	बाडीघाटी गांव शेष भाग	89309	48829	94000	51500	
58	थांवला हाईवे सड़क से थांवला गांव की सीमा तक एवं भैरुन्दा रोड़ तक	292215	292215	307000	307000	
59	थांवला शेष भाग	89309	48829	94000	51500	

1. ग्राम हरसौर, भैरुन्दा, थांवला, आलनियावास मं आबादी भूमि के चिपती कृषि भूमि की दर निर्धारित मालियत की 40 प्रतिशत बढ़ा कर ली जावेगी।
2. अन्य ग्रामों में आबादी के चिपती कृषि भूमि की दर निर्धारित मालियत की 20 प्रतिशत बढ़ा कर ली जावेगी।
3. ग्राम टेहला, गुढाजगमालोता, डोडीयाना स्थानी, भैरुन्दा, गुढा जोधा, थाटा, सुरियास, लूणियास, हरसौर, मोडीकलां, निम्बोलाबिस्वा, ढाणिपुरा, जसवन्तपुरा, शाहपुरा में से नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे गुजरात है।

अतः निम्न ग्रामों के निम्नलिखित खसरा नम्बरों की दरें निम्न प्रकार से प्रस्तावित की जाती है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	सड़क का नाम	खसरा नम्बरान
1	गुढा जगमालोता	नेशनल हाईवे सं. 89	61,65,72,73,74,75,224,227,228,229,233,234,235,250,279, 287,288
2	टेहला	नेशनल हाईवे सं. 89	20,21,22,24,30,34,37,42,55,60,62,64,65,67,70,171,186,189,190,145,156,157,158,159,168,172,182,191,192,394,395,398,399,421,422,448,439
		स्टेट हाईवे सं. 59	83,87,71,73,75,76,90,93,92,94,95,338,341,343,366,372,386,387,389,392,402,405,406,471,472,491,128
3	डोडीयाना	नेशनल हाईवे सं. 89	890,891,836,1246 / 858,832,1242 / 856,893,833,834,835,726,727,710,1206 / 712,709,707,706,671,669,639,629,638,637,636,631,632,635,634,584,1165 / 582,1166 / 582,534,482,483,1131 / 468,474,466,475,1325 / 475,1122 / 461,461,478,497,499,500,504,1345 / 504,457,959 / 457
		स्टेट हाईवे सं. 21	466,468,474,1139,466,468,474,1130 / 466,468,474,1133 / 468,466,474,420,1104 / 420,1378 / 420,417,415,416,368,469,316,366,363,362,317,318,325,322,394,326,75,74,73,1005 / 293,1354 / 61,60,935 / 61,61,1318 / 61,7170,69,68,65,933 / 55,934 / 55,55,932 / 55,16,923 / 14,925 / 15,9,10,3
4	सथाना कलां	नेशनल हाईवे सं. 89	147,148
5	सथानी	नेशनल हाईवे सं. 89	42,45,46,47,196,199,200,202,204,208,216,235 / 461,197,237
6	ढाणीपुरा	स्टेट हाईवे 59	1,1 / 1,4,3,124,125,127,139,121,120,140,141,119,117,143,142,116,144,168,169,170,171,173,172,174,175,176,178,179,180,181
7	निम्बोला बिस्वा	स्टेट हाईवे 59	67,68,72,73 / 1,75,76,78,79,80,88,89,90
8	शाहपुरा	स्टेट हाईवे 59	39,40,46,78,80,83,84
9	मोडीकलां	स्टेट हाईवे 59	8,9,10,12,14,25,24,22,125,147,150,159,161,166,168,169,171,165,158,151,152,146,112
10	लूणियास	स्टेट हाईवे 59	15,18,36,37,41,47,48,50,51,74,75,76
11	थाटा	स्टेट हाईवे 59	111,112,114,115,118,386,388,389,395,397,398,399,405,410,414,415,420,426
12	सूरियास	स्टेट हाईवे 59	61,92,96,97,98,99,100,101,102,141
13	हरसौर	स्टेट हाईवे 59	16,23,31,33,34,151,152,154,230,231,233,237,238,240,241,728,779,776,782,809,802,810,812
14	गुलाबपुरा	स्टेट हाईवे 59	755,757,761,764,765,769,771 के बटानम्बर एक
15	भैरुन्दा	स्टेट हाईवे 59	127,133,915,917,908,922,925,898,927,885,926,883,882,929,875,874,871,924,930,898,866,934,865 / 1,856 / 2,942,943,431,431 / 1,433,435,458,457,459,464,466,523,526,475,476,477,527,528,478,482,529,532,482,483,484,485,486,335,537,538,582,583,403,409,410,412,591,590,5

16	थांवला से बाड़ीघाटी व थांवला से गुढा जगमालोता नेशनल हाईवे 89 पर स्थित	1114,1118,1119,2251 / 1102,1100,1099,1089,1098,10858,111,2069 / 2063,678,692,706,708,709,710,2248 / 2206,2207,2006,2004,2205,2203,2002,2200,2199,2198,2211,2250 / 1102,1121,1120,1122,2266 / 1122,1123,1310,1311,1312,1313,1323,1327,1324,1325,1342,1343,1344,1345,1349,1347,808,810,813 से 819,916 से 926,940,1108,1109,941 से 944, 1104 से 1107,994,1119,658,659,2186,2187,2189,2190,2191,2192,2193,2194, 2196
17	थांवला से भैरुन्दा राज्य मार्ग सं. 60 पर 100 मीटर 165000 प्रति बीघा	ख नं. 394 से 397, 305,398 से 401, 413,412,402,404 से 406, 148 से 156, 139 से 143, 133,131, 121,122,111से114,119,248,2277 / 249,267,268 से 273, 305
18	थांवला ग्राम बाड़ीघाटी से पीह रघुनाथपुरा रोड़	2213, 2214,2217,2218,2216,2219,2220,229,2230,2231 व 2232

1000 वर्ग मीटर से अधिक व एक बीघा तक क्रय की गयी भूमि को बड़ा प्रयोजनार्थ मानी जायेगी। औद्योगिक प्रयोजन के लिये भूमि की दरें ऐसी भूमि के 5 किमी. की परिधि के भीतर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र की दर या उसके क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर इनमें जो कम हो।

बाड़ा, रास्ता, कुआ नलकूप (ट्यूबवैल) आदि की दर निम्न प्रकार प्रस्तावित की गयी है।

क्र.सं.	क्रय का प्रयोजन	राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रचलित दर से 10 प्रतिशत वृद्धि दि. 26.03.2012 से प्रति बीघा	दिनांक 04.10.2012 को डी.एल.सी. बैठक में 5 प्रतिशत डीएलसी दर में वृद्धि किये जाने पर दिनांक 05.10.2012 से प्रभावी	विशेष विवरण
1	बाड़ा प्रयोजन	68943	72500	
2	रास्ता प्रयोजन	68943	72500	
3	कुआ नाल पड़त	126500	133000	
4	कुआ डीजल इंजिन चलित	215683	226500	
5	कुआ बिजली चलित मय कनेक्शन	236555	248500	
6	ट्यूबवैल पड़त	292215	250000	
7	ट्यूबवैल बिजली चलित मय कनेक्शन	417450	350000	

#### आबादी क्षेत्र

ग्राम भैरुन्दा हरसौर थांवला आलनियावास (जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है) की आबादी भूमि से चिपती हुई कृषि भूमि के बेचान पर निर्धारित मालियत से 40 प्रतिशत अधिक कीमत होगी।

आबादी में स्थित भूमि की विक्रय दर निम्न प्रकार से प्रस्तावित :-

क्र.सं.	नाम ग्राम	राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रचलित दर से 10 प्रतिशत वृद्धि दि. 26.03. 2012 से (प्रति बीघा)		दिनांक 04.10.2012 को डी.एल. सी. बैठक में 5 प्रतिशत डीएलसी दर में वृद्धि किये जाने पर दिनांक 05.10.2012 से प्रभावी		विशेष विवरण
		मुख्य सड़क व बाजार में प्रतिवर्ग फुट	अन्य जगह प्रति वर्गफुट	मुख्य सड़क व बाजार में प्रतिवर्ग फुट	अन्य जगह प्रति वर्गफुट	
1	हरसौर	57	39	60	41	
2	भैरुन्दा	57	39	60	41	
3	थांवला	57	39	60	41	
4	आलनियावास	57	39	60	41	

उपरोक्त ग्रामों के अलावा अन्य सभी ग्रामों आबादी भूमि की दर 16 रु. प्रति वर्ग फुट व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि की दरें आवासीय की 4 गुणा प्रस्तावित है। खनन भूमि के लिये कृषि भूमि की दुगुनी दर ली जायेगी।

**निम्न गांवों में सड़क पर स्थित भूमि की मालियत से पृथक दर बढ़ाकर ली जावेगी।**

- 1 ग्रेवल सड़क पर है तो 10 प्रतिशत अधिक मालियत पर ली जावेगी।
- 2 ग्रामीण डामर सड़क पर है तो 20 प्रतिशत अधिक मालियत पर ली जावेगी।
- 3 जिला सड़क पर है तो 30 प्रतिशत अधिक मालियत पर ली जावेगी।
- 4 राज्यमार्ग पर हो तो 50 प्रतिशत अधिक मालियत पर ली जावेगी।
- 5 नेशनल हाईवे पर हो तो 80 प्रतिशत अधिक मालियत पर ली जावेगी।

नोट :- ग्राम थांवला व बाडीघाटी नेशनल हाईवे पर स्थित भूमि पर पृथक से मालियत पर 80 प्रतिशत नहीं लिया जायेगा। चूंकि नेशनल हाईवे के आधार पर दर निर्धारित की गई है।

नोट :- दिनांक 04.10.2012 को श्रीमान जिला पंजियक (कलक्टर) की अध्यक्षता में डीएलसी बैठक में डीएलसी बैठक में इस क्षेत्र में कृषि एवं कृषि डीएलसी दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि की गई जो दिनांक 05.10.2012 से प्रभावी की गई और ट्यूबवैल पड़त एवं ट्यूबवैल बिजली कनेक्शन सहित में क्रमशः 250000, 350000 रखी गई।

**उप पंजियक  
भैरुन्दा (नागौर)**